

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी

-: लोक सभा निर्वाचन 2014 - लेखन सामग्री हेतु निविदा :-

क्र./ लो.स. निर्वा. / लेखा / 2014 / 102

डिण्डौरी दिनांक 3-03-2014

आगामी लोक सभा चुनाव 2014 को सम्पन्न कराये जाने हेतु लेखन सामग्री क्रय की जाना है। लेखन सामग्री प्रदाय करने हेतु दिनांक 11 मार्च 2014 को 2-00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र दिनांक 10 मार्च 2014 तक रूपये 100/- नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को धरोहर राशि रूपये 10,000/- नगद या राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

निविदा शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवसों एवं समय में दिनांक 10 मार्च 2014 तक प्राप्त की जा सकती है एवं [WWW.dindori.nic.in](http://WWW.dindori.nic.in) पर देखा जा सकता है। प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 11 मार्च 2014 को सायं 4.00 बजे खोली जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
डिण्डौरी

पृ.क्र./ लो.स. निर्वा. / लेखा / 2014 / 102 A  
प्रतिलिपि :-

डिण्डौरी दिनांक 3-03-2014

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. डिण्डौरी को जिले की वेबसाईट में उक्त विज्ञापन अपलोड करने हेतु।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
डिण्डौरी

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी

// लोक सभा निर्वाचन 2014 - लेखन सामग्री निविदा की शर्तें //

1. निविदा कार्यालयीन समय (अवकाश दिवस को छोड़कर) में जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के सीलबंद लिफाफे पर "निर्वाचन सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा" लाल स्याही से अंकित होना आवश्यक है।
2. क्रय किये जाने वाली सामग्री की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर निविदा में सूची अनुसार सामग्रियों की दरें दर्शावे।
3. प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 10,000/- (अंकन - दस हजार रूपये) डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या काल डिपोजिट द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी के पक्ष में जमा की जाना आवश्यक है। बिना प्रतिभूति राशि जमा किये प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा निर्धारित तिथि /समय तक प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाना संभव नहीं होगा।
5. निविदा के साथ प्रत्येक सामग्री की किस्म तथा नमूना प्रस्तुत करना होगा। सामग्री का साईज, नाप तौल आदि जो निविदा में दिया है अंकित करना अनिवार्य है। नमूना के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निविदा की दर प्रति नग, प्रति रीम, प्रति किलो, प्रति दर्जन सैकडा या हजार आदि जैसी भी स्थिति हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा सामग्री पर सूची के अनुक्रमांक भी अंकित किया जावे।
7. निविदाकार आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर पर सामग्री प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
8. निविदा में वर्तमान विक्रय कर पंजीयन क्रमांक आवश्यक रूप से लिखा जावे, बिना विक्रय कर पंजीयन क्रमांक के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. यह निविदा, निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 06 माह तक प्रभावशील रहेगी।
10. निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सफल निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले मांग पत्र के अनुसार सामग्री तत्काल प्रदाय करना अनिवार्य होगा। समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने पर अन्य दुकानदार से सामग्री लिये जाने की दशा में अंतर की राशि की वसूली सफल निविदाकार से भू - राजस्व की भांति वसूल की जावेगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को उपरोक्त शर्तें स्वीकार है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

डिण्डौरी

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन सदन 17 अरेरा हिल्स म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ।
2. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय बैनगंगा भोपाल को सूचनार्थ। कृपया दैनिक भास्कर, नई दुनिया समाचार पत्रों के प्रादेशिक पृष्ठ पर यथाशीघ्र प्रकाशित कराने हेतु 06 अतिरिक्त प्रतियों सहित संलग्न प्रेषित है।
3. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर ----- (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ। कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डिण्डौरी / शहपुरा की ओर सूचनार्थ। कृपया निविदा सूचना से अपने क्षेत्रान्तर्गत स्टेशनरी विक्रेताओं को अवगत करावें।
7. तहसीलदार डिण्डौरी / शहपुरा की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु अग्रेषित।
8. स्थानीय मेसर्स ----- जिला डिण्डौरी को सूचनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

डिण्डौरी